Form no. III

# फर्द अहकाम

(नियम 226)

अज अदालत – अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर (राज.)

प्रवेश व अन्य बनाम विमला देवी व अन्य

किस्म मुकदमा – दीवानी वाद नम्बर 21 सन् 2023

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 25-01-2024 | अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित।<br>प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया गया है, जिसका इस आदेश के जरिये निस्तारण किया जा रहा है। अप्रार्थी/वादी पक्ष की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया।<br>प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र इन तथ्यों का पेश किया गया कि न्यायालय के समक्ष दिनांक 09. 06.2023 को उक्त वाद नियत था । उक्त दिवस को प्रतिवादी के अनुपस्थित रहने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान किये है। दिनांक 09.06.2023 को प्रार्थिया श्रीमति विमला देवी पूर्णतया अस्वस्थ थी तथा बुखार से पीडित थी,उसकी ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति देने के लिए अथवा अधिवक्ता नियुक्त किये जाने के लिए अन्य कोई व्यक्ति उपलब्ध नही था, इसलिए दिनांक 09.6.2023 को प्रार्थीया सदभाविक रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकी और माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थी विमला देवी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर दी गयी। प्रतिवादी ने किसी प्रकार का कोई भी अनुबंध जायदाद को विक्रय करने हेतु कभी भी निष्पादित नहीं किया, ना ही प्रतिवादी की जायदाद को विक्रय किये जाने की नियत रही है। प्रकरण सारवान समुचित विधिक अधिकारों के निर्णय हेतु निहित है इसलिए न्यायालय के अंदर उसको प्रतिरक्षा का अवसर दिया जाना भी न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध की गयी एकतरफा कार्यवाही को अपास्त करने की व प्रतिरक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करने का निवेदन किया।<br>अप्रार्थी/वादी ने उक्त का जवाब पेश करते हुए मुख्यतः कथन किया कि सम्यक तामील प्रतिवादी/अप्रार्थी पर हो गई, सम्यक तामील होने के बावजूद भी अप्रार्थी/प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुई। पूर्ण तथ्यों का उल्लेख प्रतिवादी अप्रार्थी के द्वारा नहीं किया गया है, इस संबंध में यह भी निवेदन है कि जो प्रकरण की आदेशिका है तो प्रकरण की आदेशिका का अवलोकन किया जाना न्यायसंगत है । जो तथाकथित डाक्टर साहब का प्रमाण पत्र | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>–2– | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| | प्रस्तुत किया गया है उसमें बिल्कुल अलग तथ्य लिखे गये है, जो तथाकथित बीमारी याचिका में लिखी गई है तो उसमें बिल्कुल अलग तथ्य लिखे है, जो तथ्य जिस प्रकार प्रार्थी/प्रतिवादी ने लिखे है जो पूर्ण सही एवं वास्तविक नहीं है। जो प्रार्थिया/प्रतिवादी जान बूझकर माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई तो उसका लाभ अप्रार्थी प्रतिवादी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है,प्रार्थिया/प्रतिवादी जान बूझकर असदभाविकता से परिपूर्ण होकर माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई तो अप्रार्थी प्रतिवादी स्वयं अपनी गलती का लाभ नहीं ले सकती। जो इकरारनामा के बाबत तथ्य अप्रार्थी प्रतिवादी ने लिखे है तो वह भी बिल्कुल गलत है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया गया।<br>बहस उभयपक्ष सुनी गई। तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आता है कि प्रकरण में प्रार्थिया/प्रतिवादी द्वारा दिनांक 09.06.2023 को न्यायालय में अनुपस्थिति का कारण स्वयं के बीमार होने व अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु जाने के लिए कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने का कारण बतलाया है, जिस संबंध में उसकी ओर से स्वयं की बीमारी के बाबत सिकनेस सर्टिफिकेट दि. 06.06.23 से 12.6.23 बाबत पेश किया है हालांकि अप्रार्थी/वादी की ओर से प्रार्थिया/प्रतिवादी सं. 1 के तर्को का विरोध किया है। चूंकि मामला प्रारम्भिक अवस्था में है व प्रकरण के निस्तारण में आवश्यक है कि उभयपक्ष अपना अपना पक्ष रखें जिससे उनके मध्य मूल विवाद का निस्तारण हो सकें व वाद बाहुल्यता नहीं बढ़े। उपरोक्त तथ्य परिस्थितियों के मध्ये नजरे प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी 500/– रू. कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर उसके विरूद्ध दिनांक 09.06.2023 को हुई एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त कर उसे प्रतिरक्षा का अवसर प्रदान किया जाता है।<br><br>पत्रावली वास्ते .....हेतु दि ..... को पेश हो।<br><br>अपर जिला न्यायाधीश,<br>क्रम–1, अजमेर। | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>–3– | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| | | |